उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
संख्या-1/2020/बी-4-52/दस-2020-10(4)/2006
लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2020

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार की संहत निक्षेप निधि के गठन तथा प्रशासन की योजना

योजना का शीर्षक	1	यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार, जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है, की संहत शोधन निधि योजना, जिसे आगे 'निधि' कहा गया है, कहलायेगी।
निधि का गठन	2	इस निधि का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु किया जायेगा।
योजना का उद्देश्य	3	इस निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ करते हुये सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु ऋण शोधन निधि की भांति किया जायेगा।
योजना के कार्यान्वयन का प्रारम्भ	4	यह निधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभाव में आयेगी।

स्पष्टीकरण-

(क) यह निधि सरकार द्वारा अंगीकृत वर्तमान निक्षेप निधि योजना को प्रतिस्थापित करेगी।

(ख) मार्च, 2020 की समाप्ति पर विद्यमान संहत निक्षेप निधि योजना की अवशेष धनराशियां इस निधि को स्थानान्तरित कर दी जायेंगी।

(ग) इस निधि पर अर्जित तथा संचित ब्याज का उपयोग सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु किया जायेगा, जैसा आगे प्रावधानित किया गया है।

(घ) इस निधि का उपयोग सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

परन्तु, प्रदेश के वार्षिक निवेश में शुद्ध वृद्धि (अर्थात्, पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि में संचित शेष के स्तर से अधिक), विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किये जाने हेतु अर्ह होगी।

(च) अदत्त दायित्वों में सरकार का आन्तरिक ऋण तथा लोक लेखे के दायित्व सम्मिलित होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निधि में अंशदान	5	वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ करते हुये, सरकार पूर्ववर्ती वर्ष के अदत्त दायित्वों के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत के बराबर अंशदान निधि में कर सकती है। सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम अंशदान को बढ़ाये जाने का प्रयास करेगी। किसी एक वर्ष में निधि में कितनी बार अंशदान किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। सरकार निधि में सामान्य राजस्व अथवा अन्य स्रोतों यथा विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों का निवेश कर सकेगी। सरकार इस निधि का वित्त पोषण भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों से नहीं करेगी।
निधि का सामान्य राजस्व के साथ संबंध	6	समय-समय पर किये गये अंशदान तथा अर्जित आय सहित निधि में संचित सरकार के सामान्य राजस्व से पृथक रखी जायेगी। निधि का उपयोग योजना में विहित रीति से किया जायेगा।
निधि का प्रशासन	7	निधि का प्रशासन केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर (जिसे आगे बैंक कहा गया है) के द्वारा, ऐसे निर्देशों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायें, के अधीन किया जायेगा।
निधि के कॉर्पस का निवेश	8	निधि में जमा होने वाली राशियों का निवेश ऐसी परिपक्वता अवधि वाली भारत सरकार की डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, भारत सरकार की स्पेशल सिक्योरिटीज तथा अन्य राज्यों के राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा जैसा सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाये। स्पष्टीकरण- (क) निधि में जमा होने वाली राशियों में, किये जाने वाले आवर्तक अंशदान तथा निधि में संचित राशियों के निवेश से अर्जित आय सम्मिलित होगी। (ख) बैंक द्वारा सेकेण्डरी मार्केट से सिक्योरिटीज, प्रस्तर-10 में इंगित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क लिये बिना अधिग्रहित की जायेंगी।
लेखा संव्यवहार	9	(क) सरकार के निर्देश के अनुसार बैंक द्वारा सरकार के खाते से डेबिट किया जायेगा। (ख) निधि में किये जाने वाले अंशदान का निवेश, प्रस्तर-8 के अनुसार बैंक द्वारा भारत सरकार की सिक्योरिटीज में रूपये 10,000/- के गुणकों में किया जायेगा। (ग) निधि में अर्जित ब्याज से समय-समय पर प्राप्त होने वाली राशियों पुनर्निवेश बैंक द्वारा उक्त रीति से रूपये 10,000/- के गुणकों में किया जायेगा। (घ) निधि से किये गये निवेश, जो योजना के प्रचलन में रहने तक परिपक्व होंगे, का पुनर्निवेश प्रस्तर-8 के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(च) 2024-25 के पूर्व निधि से प्रत्याहरण की अनुमति नहीं होगी। परंतु, जिन राज्यों द्वारा पहले से ही पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत निधि का गठन किया जा चुका है, वे पूर्ववर्ती योजना में विहित लॉक-इन अवधि के एक वर्ष के पश्चात प्रत्याहरण कर सकते हैं। प्रत्याहरण की राशि उस वर्ष खुले बाजार ऋणों के मोचन की राशियों से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 तक निधि में अर्जित एवं संचित ब्याज से प्रत्याहरण की अनुमति, अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में दी जा सकती है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक निधि में अर्जित एवं संचित ब्याज से प्रत्याहरण की अनुमति, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु सरकार के निर्देशानुसार दी जा सकती है, इत्यादि।

(ख) निधि के कार्पस में किये गये अंशदान की राशियों तब तक अविच्छिन्न रहेगी जब तक समुचित धनराशि संचित न हो जाये। वर्ष 2025-26 से इसकी समीक्षा समुचित अवधि पर की जायेगी।

(ग) आवर्ती किश्तों हेतु सरकार के नामे डाली गयी धनराशि का लेखांकन मुख्य लेखाशीर्षक- 8222 (रक्षित निधियों) के अन्तर्गत किया जायेगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्षक-8222 (उपशीर्षक सिंकिंग फण्ड) में अवशेष राशि लेखाशीर्षक-8680 (विविध सरकारी लेखे-101-खाता शेष समायोजन लेखे) में क्रेडिट की जायेगी।

(घ) निवेश की राशियों में से प्रासंगिक शुल्कों की धनराशि घटाते हुये बैंक द्वारा सरकार को स्क्रॉल प्रेषित किया जायेगा। निधि के निवेश के लेखों को अन्य लेखों से पृथक रखने हेतु अलग-अलग स्क्रॉल में इन्हें स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

(च) निर्धारित तिथियों पर निवेश पर ब्याज का संग्रहण तथा उसे निधि में क्रेडिट किया जाना बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) सिक्योरिटीज की परिपक्वता पर, सिक्योरिटीज के मोचन का प्रबंध बैंक द्वारा किया जायेगा। किसी दावे के भुगतान के दायित्व की पूर्ति हेतु, परिपक्वता से पूर्व विनिवेश के मामले में बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से नगदीकृत की जाने वाली सिक्योरिटीज के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तथा उन सिक्योरिटीज को तत्समय प्रभावी मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त धनराशि में से प्रासंगिक शुल्कों को घटाकर निधि में क्रेडिट किया जायेगा। डेबिट स्क्रॉल्स की भांति प्राप्तियों के लिये भी बैंक द्वारा अलग-अलग स्क्रॉल्स का प्रयोग किया जायेगा।

(ज) आवर्ती अंशदान हेतु व्यय के लिए सरकार के बजट में सुसंगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्रावधान कराया जायेगा। निधि से किये जाने वाले व्यय हेतु आवश्यक धनराशि का प्रत्याहरण, निधि से किये गये निवेश का विक्रय कर किया जायेगा।
	(झ)	बैंक द्वारा निधि के नाम से एक चालू खाता तथा सब्सिडियरी जनरल लेजर खाता खोला जायेगा एवं प्रतिवर्ष सितम्बर तथा मार्च की समाप्ति पर निवेशों का विवरण प्रदर्शित करते हुये सरकार को स्टेटमेण्ट उपलब्ध कराया जायेगा।
निधि के प्रशासन हेतु सेवा शुल्क	10	निधि के टर्नओवर के एक प्रतिशत के 1/8 भाग की दर से अथवा सरकार एवं बैंक के मध्य समय समय पर आपसी सहमति से निर्धारित दर पर सरकार बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी।
लेखे एवं ऑडिट	11	निधि तथा किये गये निवेशों के लेखे प्रदेश के महालेखाकार द्वारा रखे जायेंगे । बैंक उस रीति से एवं वह विवरण प्रदर्शित करते हुये सब्सिडियरी लेखे रखेगा जैसा सरकार द्वारा महालेखाकार की सलाह से आवश्यक समझा जाये।
व्यावृत्ति	12	योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सरकार समय समय पर योजना के प्रावधानों के संबंध में, जैसा अवधारित किया जाय, निर्देश जारी करेगी। योजना के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होने पर सरकार, यदि संतुष्ट हो तो ऐसे प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh

Finance (Budget) Section -4

No.- 52/X-2020-10(4)/2006

Lucknow : Dated March 17 ,2020

NOTIFICATION

Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of Uttar Pradesh

Title of the Scheme

1. The Scheme shall be called 'Consolidated Sinking Fund Scheme' (hereinafter referred to as 'the Fund') of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the Government')

Constitution of the Fund

2. 'The Fund' will be constituted by the Government of Uttar Pradesh for redeeming its outstanding liabilities.

Objective of the Scheme

3. The Fund is to be utilized as an Amortization Fund for redemption of the outstanding liabilities of the Government commencing from the financial year 2020-21.

Commencement of the Operation of the Scheme

4. The Fund shall come into force with effect from financial year 2020-21.

Explanation-

(a) The Fund shall substitute the extant CSF Scheme adopted by the Government.

(b) The outstanding balances of the extant CSF Scheme as at end-March 2020 shall be transferred to the Fund.

(c) The interest accrued and accumulated in the Fund shall be utilized towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as hereinafter provided.

(d) The Fund shall not be utilized for any purpose other than redemption of the outstanding liabilities of the Government.

Provided that the net incremental annual investment of State (i.e. outstanding balance over and above the level in the corresponding period of the previous year) shall be eligible for availing Special WMA.

(e) The outstanding liabilities is defined to comprise of internal debt and public account liabilities of the Government.

Contributions to the Fund

5. The Government may contribute to the Fund on a modest scale of at least 0.5 per cent of the outstanding liabilities as at the end of the previous year beginning with the financial year 2020-21. The Government shall make efforts to raise the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

minimum contribution every year. There is no ceiling on such contribution to the Fund in terms of number of times of making contributions in a year. It is open to the Government to invest in the Fund from the General Revenue at any time or from other sources such as disinvestment proceeds to the Fund, at its discretion. The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Reserve Bank

Relationship of the Fund with General Revenues

6. The corpus of the Fund comprising the periodic contributions as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenue of the Government. The Fund shall be utilized in the manner prescribed in this Scheme.

Administration of the Fund

7. The Fund shal1 be administered by Central Accounts Section of the Reserve Bank of India at Nagpur (herein after referred to as the Bank), subject to such directions/ instructions as the Government may issue from time to time

Investment of the corpus of the fund

8. The accretions to the Fund shall be invested in Government of India dated Securities, treasury Bill, Special Securities of GOI and State Development Loans of other states of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government.

Explanation-

(a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof.

(b) The Bank shall make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 10.

Account Transactions

9. (a) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the advice of the Government.

(b) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government of India Securities as indicated in paragraph 8 in multiples of Rs.10,000/-.

(c) The periodic accretion to the Fund by way of interest income shall be reinvested by the Bank in a similar manner, in multiples of Rs. 10,000/-.

(d) The investments held in the Fund and maturing during currency of the scheme shall be reinvested in accordance with paragraph 8.

(e) No withdrawals will be allowed from the Fund until 2024-25. Provided that States that have already set up the Fund under the earlier scheme may withdraw an amount in a year after the lock-in period stipulated in the earlier scheme. The amount shall not exceed the amount of redemption due for that year in respect of open market borrowings.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Explanation-

(a) Withdrawals may be allowed in the financial year 2025-26 from out of the interest income accrued and accumulated in the Fund up to the financial year 2024-25 towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as per its directions. Similarly, withdrawals may be allowed in the financial year 2026-27 from out of the interest income accrued and accumulated in the Fund up to the financial year 2025-26 towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as per its directions and so on.

(b) The contribution forming the corpus of the Fund shall remain intact, until substantial amount is built up. A review thereof may be taken at an appropriate period from 2025-26

(c) The debit to Government on account of the periodic instalments will be accounted under the major head 8222 (Reserve Funds). On the maturity of the loan, the balance outstanding under the head 8222 (sub-head Sinking Fund) is credited to the head 8680 (Miscellaneous Government Account-101- Ledger Balance Adjustment Accounts).

(d) The Bank shall scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(e) The Bank shall arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.

(f) On the maturity of the securities, the Bank shall arrange to redeem the securities. In case of premature disinvestment to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank will decide on the securities to be encashed in consultation with the Government and sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(g) The provision for expenditure on account of the periodic contributions shall be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

(h) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year, a statement showing the details of investments.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Service charges for administration of the fund	**10.**	The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 of one per cent on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.
Accounts and Audit	**11.**	The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.
Savings	**12**	The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

SANJIV MITTAL
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।